न्यायालय : अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट आबूपर्वत।

पीठासीन अधिकारी :– सिद्धार्थ दीप
आर.जे.एस.

फौजदारी मूल प्रकरण संख्या :– 02/2015

01– राज्य सरकार जरिए अभियोजन अधिकारी आबूपर्वत, जिला–सिरोही ।
..... अभियोगी

बनाम

01– श्रीमती थावरी पत्नी गोवा जाति–ग्रासिया, निवासी–वोरावल फली तन तलवारनामा, पुलिस थाना–आबूरोड सदर, जिला–सिरोही।
..... मुलजिमा

अपराध अन्तर्गत धारा 16/54 राज.आब.अधिनियम

उपस्थितिः–
01– श्रीमती सीमा शर्मा, अभियोजन अधिकारी आबूपर्वत ।
02– श्री प्रभुराम ग्रासिया, अधिवक्ता, मुलजिमा की ओर से ।

निर्णय

दिनांक :– 22.04.2016

01– अभियोजन कहानी के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि दिनांक 29.08.2014 को प्रहराधिकारी आबकारी निरोधक दल आबूरोड प्रद्युम्नसिंह मय जाब्ता दौराने रेड गश्त आबूरोड शहर में मानपुर स्थित चमत्कारी हनुमान मन्दिर के पास आम रास्ते से होकर जा रहे थे तो सामने से एक महिला अपने हाथ में जरीकेन लेकर आती दिखाई दी जिसको शक के आधार पर रोककर नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम श्रीमती थावरी होना बताया तथा उसके हाथ में मौजूद जरीकेन को चैक किया गया तो उसमें आठ बोतल हथकडी शराब पाई गई । तत्पश्चात् मौके पर जरीकेन में से नमूना शराब पृथक से ली जाकर नमूना सैम्पल व जरीकेन पर मार्क अंकित कर सीलचेपा कार्यवाही की गई तथा बाद मौका कार्यवाही कार्यालय पहुंचकर प्रकरण संख्या 38/2014–2015 पंजीबद्ध किया गया एवं बाद अन्वेषण मुलजिमा श्रीमती थावरी के विरूद्ध धारा 16/54 राजस्थान आबकारी अधिनियम के तहत आरोप प्रमाणित

मानते हुए न्यायालय में आरोपपत्र प्रस्तुत किया ।

02– आरोपपत्र प्रस्तुत होने के उपरान्त बहस चार्ज सुनी जाकर मुलजिमा को धारा 16/54 राजस्थान आबकारी अधिनियम के तहत आरोप पृथक से विरचित कर सुनाया व समझाया गया तो तो मुलजिमा ने आरोप सुन व समझकर अस्वीकार करते हुए अन्वीक्षा चाही ।

03– अन्वीक्षा में अभियोजन ने मुलजिमा के विरूद्ध उक्त आरोप को साबित करने के लिए गवाहान पी.ड.1 फकाराम तथा पी.ड.2 अणदाराम के बयान लेखबद्ध करवाए गए । इस प्रक्रम पर मुलजिमा की ओर से लोक अदालत की भावना से स्वेच्छया जुर्म स्वीकारोक्ति का आवेदन प्रस्तुत किया गया जिस पर अभियोजन ने अपनी साक्ष्य समाप्त की ।

04– दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अधीन मुलजिमा की परीक्षा की गई तो मुलजिमा ने अपने विरूद्ध आए साक्ष्य को सही होना बताते हुए प्रतिरक्षा में साक्ष्य प्रस्तुत करना नहीं चाहा ।

05– बहस अन्तिम सुनी गई एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया ।

06– प्रकरण में विचारणीय बिन्दु यह है कि :–

> ''क्या दिनांक 29.08.2014 को सुबह के करीब नौ बजे या इसके लगभग सरहद मौजा आबूरोड शहर में मानपुर स्थित चमत्कारी हनुमान मन्दिर के पास आम रास्ते में मुलजिमा श्रीमती थावरी के अनन्य कब्जे से एक प्लास्टिक जरीकेन में आठ बोतल हथकडी अवैध शराब बरामद की गई तथा इस प्रकार मुलजिमा ने हथकडी अवैध शराब अपने कब्जे में रख व परिवहन कर धारा 16/54 राजस्थान आबकारी अधिनियम के तहत दण्डनीय अपराध कारित किया ?
>
> यदि हां, तो दण्ड की उचित मात्रा क्या होगी ?

07– प्रस्तुत प्रकरण में अभियोजन पक्ष की ओर से साक्षी फकाराम को बतौर पी.ड.1 प्रस्तुत कर परीक्षित करवाया गया है जिसने अपने सशपथ कथनों में दिनांक 29.08.2014 को पीओ प्रद्युम्नसिंह के साथ दौराने रेडगश्त आबूरोड स्थित चमत्कारी हनुमान मन्दिर के पास एक प्लास्टिक के जरीकेन में आठ बोतल हथकडी शराब बरामद करना बताया है तथा मौके पर फर्द जब्ती प्रदर्श पी.1, नक्शा मौका प्रदर्श पी.2 तथा फर्द गिरफतारी प्रदर्श पी.3 तैयार करने एवं फर्दों पर ए से बी स्वयं के हस्ताक्षर होना कथित किया है । गवाह पी.ड.2 अणदाराम ने प्रकरण का नमूना पव्वा आबकारी प्रयोगशाला जोधपुर में जमा करवाए जाने हेतु उसको सुपुर्द करने पर नमूना जमा

करवाकर प्राप्ति रसीद थाने जमा करवाए जाने का कथन किया है । उक्त दोनों ही गवाहान से मुलजिमा की ओर से कोई जिरह नहीं की गई है जिससे गवाहान द्वारा मुख्य परीक्षण में किए गए कथन अखण्डित रहे हैं जिन पर अविश्वास किए जाने का कोई कारण न्यायालय के समक्ष नहीं है । प्रकरण में स्थिति यह भी है कि मुलजिमा की ओर से लोक अदालत की भावना से स्वेच्छया जुर्म स्वीकार भी किया गया है तथा कथन किया गया है कि उससे गलती हो गई है तथा वह भविष्य में अपराध की पुनरावृत्ति नहीं करेगी । अतः प्रकरण में अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य से मुलजिमा द्वारा हथकडी शराब का परिवहन करने का तथ्य समस्त युक्तियुक्त सन्देह से परे प्रमाणित है । अतः प्रकरण में मुलजिमा को धारा 16/54 राजस्थान आबकारी अधिनियम के आरोप में दोषसिद्ध घोषित किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है ।

आदेश

08– अतः मुलजिमा श्रीमती थावरी पत्नी गोवा जाति–ग्रासिया, निवासी–वोरावल फली तन तलवारनामा, पुलिस थाना–आबूरोड सदर, जिला–सिरोही को धारा 16/54 राजस्थान आबकारी अधिनियम के आरोप में दोषसिद्ध किया जाता है। मुलजिमा के अन्वीक्षार्थ लिए गए जमानत मुचलके एतद्द्वारा निरस्त किए जाते हैं।

(सिद्धार्थ दीप)
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
आबूपर्वत,जिला–सिरोही ।

09– दण्ड के प्रश्न पर सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया । अभिलेख पर मुलजिमा प्रथम अपराधी है तथा उसकी ओर से प्रकरण में स्वेच्छया जुर्म स्वीकार किया गया है तथा कथन किया गया है कि वह भविष्य में अपराध की पुनरावृत्ति नहीं करेगी । अतः प्रकरण के समस्त तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए मुलजिमा को तुरन्त कारावास के दण्ड से दण्डित करने के बजाए धारा 4(1) परिवीक्षा अधिनियम के अन्तर्गत सदाचरण की परिवीक्षा पर इस शर्त पर रिहा किया जाता है कि मुलजिमा एक वर्ष की अवधि तक परिशांति बनाए रखेगी, अपराध की पुनरावृत्ति नहीं करेगी, न्यायालय द्वारा बुलाए जाने पर हाजिर आएगी और दण्डादेश भुगतने के लिए तैयार रहेगी तथा इस प्रयोजनार्थ मुलजिमा दो हजार रूपए की राशि की जमानत तथा इसी राशि का बंधपत्र प्रस्तुत कर तस्दीक कराएगी । साथ ही धारा 5 परिवीक्षा अधिनियम के अन्तर्गत मुलजिमाा पर दो सौ पचास रूपए अभियोजन व्यय

अधिरोपित किये जाते हैं ।

10– प्रकरण में जब्तशुदा हथकडी शराब बाद गुजरने मियाद अपील, अपील न होने की सूरत में नियमानुसार नष्ट की जावे ।

(सिद्धार्थ दीप)
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
आबूपर्वत, जिला–सिरोही ।

11– निर्णय एवं आदेश आज दिनांक 22.04.2016 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(सिद्धार्थ दीप)
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
आबूपर्वत, जिला–सिरोही ।

प्रमाणपत्र :–
निर्णय/आदेश में किए गए सभी संशोधन को अपलोड करने से पूर्व समाविष्ट कर लिया गया है ।

(शिवकरण बिश्नोई)
स्टेनो
एसीजेएम कोर्ट आबूपर्वत